न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट पलवा)

वाद संख्या :– 02 / 201 / 2016

रामस्वरूप बनाम हरिप्रसाद वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 15.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट पलवा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 21.12.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 489 / 0.32, 490 / 0.30 है. वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगा 3 द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बाद सूचना तामील उपस्थित न्यायालय नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है उक्त प्रार्थना पत्र का अभी निर्णय नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थना पत्र प्रार्थी में अंकित रास्ता साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 489 / 0.32, 490 / 0.30 है. वाके ग्राम फिरोजपुर तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 कैम्प कोर्ट पलवा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(कैम्प कोर्ट पलवा)